

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-210/15
संस्थापित दिनांक-24.08.2015

Filing no- 235103005042015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- धनसिंह पुत्र बुद्धा हरिजन उम्र 50 साल 2- रामगोपाल पुत्र धनसिंह हरिजन उम्र 23 साल 3- कलेक्टर पुत्र धनसिंह हरिजन उम्र 19 साल निवासीगण- ग्राम आरोली थाना पिपरई जिला-अशोकनगर म0प्र0आरोपीगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 31.05.2017 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323 विकल्प 323/34, 336, 506 भाग दो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 29.07.2015 को समय 18:30 बजे या उसके लगभग थाना पिपरई स्थित ग्राम आरोली लोक स्थल पर मां बहन की गालियां देकर अश्लील शब्द उच्चारित किये जिससे परिवादी तथा अन्य को क्षोभ कारित किया तथा परिवादी/आहतगण जगदीश, राकेश, फजीत को स्वेच्छया उपहति कारित की एवं अन्य अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहतगण जगदीश, राकेश, फजीत को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहतगण जगदीश, राकेश व फजीत को स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से आहत पर इस प्रकार पत्थर फेंके की जिससे मानव जीवन या दूसरो को व्यक्ति क्षेम संकटापन हो एवं परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहतगण एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 31.05.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपीगण धनसिंह, रामगोपाल, कलेक्टर को भा.द.वि की धारा 294, 323 विकल्प 323/34, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी राकेश ने अपने भाई जगदीश के साथ थाना पिपरई में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम आरोली में रहता है और खेती करता है और साथ में डी.जे. का काम भी करता है। फरियादी ने धनसिंह के लड़के की शादी में डी.के. बजाया था, जिसके रुपये उधार थे आज दिनांक 29.07.2015 उसने शाम के साढ़े 6 बजे धनसिंह से डी.जे. बजाने के रुपये मागे कि इतने दिन हो गये रुपये दे दो, तो धनसिंह बोला कि उसके पास अभी रुपये नहीं हैं उसी समय फरियादी का भाई जगदीश और पिता फजीत सिंह आ गये और बोले कि रुपये दे दो, तभी धनसिंह, कलेक्टर सिंह और रामगोपाल लाठी लेकर आ गये और तीनों ने फरियादी व आहतगण को मां बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे, गालियां सुनने में बुरी लगी तो उन्होंने गाली देने से मना किया कि गाली मत दो, तो रामगोपाल ने उसे लाठी मारी बांये हाथ के कोहनी के नीचे लगी चोट होकर खून निकल आया, कलेक्टर सिंह ने उसके पिता फजीत की लाठी से मारपीट की उसके चोटे आई, मौके पर मौजूद मिश्रा, सुनील और बादलसिंह ने उन्हें बचाया और उनकी लाठी छीन ली, तभी धनसिंह ने पत्थर उठाकर मारा जो जगदीश के बांयी आंख के उपर चोट होकर खून निकल आया। पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 29.07.2015 को समय 18:30 बजे या उसके लगभग थाना पिपरई स्थित ग्राम आरोली लोक स्थल पर उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से आहत पर इस प्रकार पत्थर फेंके की जिससे मानव जीवन या दूसरों को व्यक्ति क्षेम संकटापन हो ?
----	--

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फरियादी राकेश अ0सा01 ने उसके

न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह सभी आरोपीगण को जानता है। घटना करीब 2 साल पहले की होकर रात के समय की है। वह धनसिंह के लडके की शादी में डी. जे. बजाने के पैसे मांगने गया था इसी बात पर धनसिंह के साथ उसका वाद विवाद हो गया था। उस समय धनसिंह के अलावा रामगोपाल, कलेक्टर भी मौके पर आ गये थे। उक्त लोगो ने उसके साथ झुमा झटकी की थी, उसे बचाने जगदीश व उसके पिता फजीत आए थे उनके साथ भी आरोपीगण ने धक्का मुक्की की थी। आरोपीगण कुछ नहीं लिये थे न ही इसके अलावा आरोपीगण ने कोई घटना उनके साथ कारित नहीं की थी। मौके पर और भी लोग मौजूद थे जिनके नाम उसे आज याद नहीं है। उक्त घटना के संबंध में उसने, उसके पिता फजीत व जगदीश सिंह के साथ जाकर थाना पिपपरई में प्र.पी. 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका इलाज कराया था एवं उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी रामगोपाल ने उसे लाठी से मारा था। इस बात से इंकार किया कि उसके पिता फजीत सिंह को कलेक्टर ने लाठी से मारा था। इस बात से इंकार किया कि उसके भाई जगदीश को धनसिंह ने पत्थर मारा था जिससे मेरे भाई को बांयी आंख के उपर चोट आई थी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी. 2 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसा कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया है कि वह आरोपीगण से मिल गया है और उसे बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है।

08— जगदीश अ0सा02, फजीत अ0सा03, ने उनके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह आरोपीगण को जानते हैं। राकेश धनसिंह के लडके की शादी में डी.जे. बजाने के पैसे मांगने गया था, इसी बात पर वाद विवाद हो गया था और धक्का मुक्की हो गई थी। इसके अलावा उक्त साक्षीगण ने अभियोजन घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर पुलिस कथन प्र.पी. 4 एवं 5 का ए से ए भाग पुलिस को न देना व्यक्त किया।

09— इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी राकेश, जगदीश, फजीत जोकि प्रकरण में स्वयं फरियादी/आहत एवं चक्षुदर्शी साक्षी है, ने उनके न्यायालयीन कथनो में आरोपीगण से धक्का मुक्की होने की बात बताई किन्तु इस बात से इंकार किया कि है कि धनसिंह ने जगदीश को पत्थर से मारा था जिससे उसकी बांयी आंख के उपर चोट आई थी।

// 4 // दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-210/15

Filing no- 235103005042015

10- उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 29.07.2015 को समय 18:30 बजे या उसके लगभग थाना पिपरई स्थित ग्राम आरोली लोक स्थल पर उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से आहत पर इस प्रकार पत्थर फेंके की जिससे मानव जीवन या दूसरो को व्यक्ति क्षेम संकटापन हो । अतः अभियुक्तगण **धनसिंह, रामगोपाल, कलेक्टर सिंह** को भा.द.वि. की धारा 336 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11- अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

12- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

13- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0